न्यायमूर्ति एन.के अग्रवाल के समक्ष

प्रभु राम और अन्य,-याचिकाकर्ता

बनाम

हरियाणा राज्य,-प्रतिवादी

Crl. R. No. 141 of 1988

22 जनवरी, 1999

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973-एस। 357—अपराधियों की परिवीक्षा अधिनियम, 1958—एस.एस. 5 और 11—ट्रायल कोर्ट द्वारा दोषसिद्धि—अपील में परिवीक्षा का लाभ दिया गया और घायल पक्ष को मुआवजा दिया गया—उच्च न्यायालय के समक्ष पुनरीक्षण में तर्क दिया गया कि धारा 357 सीआर .पी.सी के तहत मुआवजे का आदेश नहीं दिया जा सकता।और इस तरह के मुआवजे का भुगतान केवल किसी व्यक्ति को किसी नुकसान या चोट के लिए खर्च चुकाने के आरोपी पर सजा के रूप में लगाए गए जुर्माने से किया जा सकता है, इस आधार पर कि जब परिवीक्षा दी जाती है तो न तो सजा और न ही जुर्माना बचता है - माना जाता है, सत्र न्यायालय ने सीआरपीसी की धारा 357 के तहत कोई भी आदेश पारित नहीं किया। लेकिन वास्तव में 1958 अधिनियम-संशोधन की धारा 11(1) के साथ पठित धारा 5(1) के तहत खारिज कर दिया गया।

निर्धारित किया गया ,यह स्पष्ट है कि किसी अपराधी को अच्छे आचरण की परिवीक्षा पर रिहा करने का आदेश देने वाला न्यायालय उसे उस व्यक्ति को उचित मुआवजा देने का भी निर्देश दे सकता है जिसे अपराध के कारण नुकसान या चोट लगी हो। मुआवजे की रकम जुर्माने के तौर पर वसूली जा सकती है ।

(पैरा 12)

इसके अलावा यह निर्धारित किया गया है ,कि अपीलीय न्यायालय ने वर्तमान मामले में आरोपी व्यक्तियों पर लगाए गए जुर्माने की राशि में से मुआवजा नहीं दिया है। अपीलीय न्यायालय के पास आरोपी व्यक्तियों को परिवीक्षा का लाभ देते समय अपराधियों की परिवीक्षा अधिनियम के तहत कोई भी आदेश देने की शक्ति थी। अधिनियम की धारा 11(1) अपीलीय न्यायालय को अधिनियम की धारा 5(1) में उल्लिखित मुआवजे के भुगतान के संबंध में आदेश पारित करने का अधिकार देती है। अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा मुआवजे के भुगतान के लिए अपीलीय न्यायालय का आदेश अधिनियम की धारा 11(1) के साथ पठित धारा 5(1) के आलोक में एक वैध आदेश है।

(पैरा 14 एवं 15)

याचिकाकर्ताओं के वकील कपिल अग्रवाल।

प्रतिवादी की ओर से प्रमोद गोयल, डी.ए.जी (एच)।

निर्णय

(1) यह दंड प्रक्रिया संहिता (सीआर.पी.सी) की धारा 401 के तहत एक पुनरीक्षण याचिका है, जिसमें सत्र न्यायाधीश, अंबाला द्वारा पारित 1 दिसंबर, 1987 के अपीलीय आदेश को चुनौती दी गई है, जिसके तहत मुआवजा राशि प्रत्येक अभियुक्त को घटना में घायल हुए व्यक्तियों को 250 रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया गया था।

(2) छह याचिकाकर्ताओं को अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अंबाला की अदालत में मुकदमे का सामना करना पड़ा। उन्हें भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 148, 324/149, 325/149 और 326/149 के तहत अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया और कारावास की विभिन्न शर्तों की सजा सुनाई गई। उन्हें 5000 रुपये जुर्माने की सजा भी सुनाई गयी. आईपीसी की धारा 326/149 के तहत अपराध के लिए प्रत्येक को 250 रुपये और जुर्माना अदा न करने पर दो महीने के अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा दी जाएगी। आईपीसी की धारा 326/149 के तहत दो वर्ष के कठोर कारावास की सजा के अलावा जुर्माना भी लगाया गया।

(3) आरोपी व्यक्ति दोषसिद्धि और सजा के आदेश के खिलाफ अपील में गए। विद्वान सत्र न्यायाधीश ने आरोपी व्यक्तियों द्वारा दायर अपील में उनकी दोषसिद्धि को बरकरार रखा लेकिन उन्हें परिवीक्षा का लाभ दिया। आरोपी व्यक्तियों को उनके व्यक्तिगत और ज़मानत बांड निष्पादित करने पर एक वर्ष की अवधि के लिए अच्छे आचरण की परिवीक्षा पर रिहा करने का आदेश दिया गया था। अपीलीय न्यायालय ने यह भी आदेश दिया:-

> इसके अलावा, सभी अपीलकर्ताओं को रुपये की राशि का भुगतान करना होगा। मुआवजे के रूप में सुच्चा राम और ज्ञान चंद, पीडब्ल्यू के बीच 250-250 रुपये समान रूप से वितरित किए जाएंगे। जुर्माना, यदि अपीलकर्ताओं द्वारा पहले ही जमा कर दिया गया है, तो इस मुआवजे के लिए समायोज्य होगा।

(4) याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील श्री कपिल अग्रवाल ने तर्क दिया कि मुआवजे का भुगतान करने का आदेश नहीं दिया जा सकता क्योंकि यह सीआरपीसी की धारा 357 के प्रावधानों के विपरीत है। मुआवजे का भुगतान आरोपी व्यक्तियों पर सजा के रूप में लगाए गए जुर्माने से किया जा सकता है। सीआरपीसी की धारा

357 के तहत अदालत किसी आरोपी पर सजा के रूप में कोई जुर्माना लगा सकती है। इस तरह वसूले गए जुर्माने की पूरी राशि या उसके किसी हिस्से को अभियोजन में उचित रूप से किए गए खर्चों को चुकाने या अपराध के कारण किसी भी नुकसान या चोट के लिए किसी व्यक्ति को मुआवजे के भुगतान में लागू करने का आदेश दें। विद्वान वकील ने तर्क दिया है कि एक बार अपीलीय अदालत ने आरोपी व्यक्तियों को परिवीक्षा का लाभ दे दिया, तो दोनों सजाएं, अर्थात् कारावास की सजा और जुर्माने की सजा, अब अस्तित्व में नहीं रहेंगी और इसलिए, कोई मुआवजा जुर्माने से भुगतान देने का आदेश नहीं दिया जा सकता है।

(5) श्री कपिल अग्रवाल ने अपने तर्क के समर्थन में दर्शन लाई बनाम पंजाब राज्य (1) में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा जताया है। यह एक ऐसा मामला था जहां आरोपी को आईपीसी की धारा 324 के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराया गया था, और उसके बाद उसे ट्रायल कोर्ट द्वारा 1,000 रुपये के बांड और 500रुपये मुआवजे का भुगतान भी अच्छे आचरण की परिवीक्षा पर रिहा करने का आदेश दिया गया था।आगे यह आदेश दिया गया कि मुआवजे में से रु.200 रुपये का घायलों को भुगतान किया जाएगा। ट्रायल कोर्ट ने परिवीक्षा की अवधि तय नहीं की। अपीलीय अदालत ने परिवीक्षा की अवधि घटाकर छह महीने कर दी और मुआवजे की राशि भी घटाकर रुपये 400कर दी। यह माना गया कि चूंकि याचिकाकर्ता को ट्रायल कोर्ट द्वारा संभवतः धारा 360, सीआर के तहत परिवीक्षा पर रिहा किया गया था। उन्हें मुआवज़ा देने का आदेश नहीं दिया जा सकता था। गिरधारी लाई बनाम पंजाब राज्य (2) में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा करते हुए, यह देखा गया कि एक बार जब आरोपी को परिवीक्षा पर रिहा कर दिया गया, तो उसे सीआरपीसी की धारा 357 के तहत मुआवजा देने का निर्देश नहीं दिया जा सकता है। गिरधारी लाई (सुप्रा) के मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसे मामले पर विचार किया था जहां उच्च न्यायालय ने आरोपी को रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया था। राज्य को मुकदमेबाजी लागत के रूप में 3,000 रु. दण्ड संहिता की धारा 357 के प्रावधानों के आलोक में। सीआरपीसी की धारा 357 के तहत यह माना कि, जुर्माने की सजा के अभाव में, मुकदमेबाजी की लागत के भुगतान के लिए कोई निर्देश नहीं दिया जा सकता है।

(6) इस प्रकार, ऐसा प्रतीत होता है कि आरोपी व्यक्ति पर लगाए गए किसी भी जुर्माने के अभाव में मुआवजे के भुगतान का आदेश, सीआरपीसी की धारा 357 के आलोक में टिकाऊ नहीं माना गया था।

(7) सीआरपीसी की धारा 357 का प्रासंगिक भाग इस प्रकार है:-

357. *मुआवजा देने का आदेश.—*

> "(1) जब कोई अदालत जुर्माने की सजा या सजा (मौत की सजा सहित) लगाती है, जिसमें जुर्माना भी एक हिस्सा होता है, तो अदालत फैसला सुनाते समय, वसूले गए जुर्माने की पूरी राशि या उसके किसी हिस्से को लागू करने का आदेश दे सकती है —
>
> (a) अभियोजन में किए गए खर्चों को उचित रूप से चुकाने में;
>
> (b) अपराध के कारण हुई किसी हानि या चोट के लिए किसी व्यक्ति को मुआवजे के भुगतान में, जब अदालत की राय में मुआवजा, सिविल कोर्ट में ऐसे व्यक्ति द्वारा वसूली योग्य हो;

(1) 1984 (2) सी.एल.आर 792।
(2) ए.आई.आर 1982 एस.सी 1229।

(सी) *** *** *** *** ***

(डि) *** *** *** *** ***

(ई) *** *** *** *** ***

(2) *** *** *** *** ***

(3) *** *** *** *** • ***

(4) *** *** *** *** ***

(5) *** *** *** ***

8)उपरोक्त प्रावधान को पढ़ने से यह पता चलता है:

जहां अदालत जुर्माने की सजा सुनाती है, वहां मुआवजे का भुगतान करने का आदेश दिया जा सकता है। अभियुक्त से वसूला गया पूरा जुर्माना या उसका कुछ हिस्सा किसी भी व्यक्ति को अपराध के कारण हुई हानि या चोट के मुआवजे के भुगतान में लगाया जा सकता है। जुर्माने की राशि अभियोजन में हुए खर्च की भरपाई में भी लगाई जा सकती है। इस प्रकार, यह जुर्माने की वह राशि है जो या तो अभियोजन में किए गए खर्चों को चुकाने या किसी व्यक्ति को अपराध के कारण हुई किसी हानि या चोट की भरपाई के लिए लगाई जाती है।

(9) अपीलीय अदालत ने वर्तमान मामले में दोषसिद्धि को बरकरार रखा और उसके बाद आरोपी व्यक्तियों को परिवीक्षा का लाभ देने के लिए आगे बढ़ी। चूँकि न तो कारावास की सज़ा और न ही जुर्माने की सज़ा अब अस्तित्व में है, इसलिए मुआवज़े के भुगतान में पूरे जुर्माने या उसके कुछ हिस्से को लागू करने का सवाल ही नहीं उठता।

(10) अपीलीय न्यायालय ने अपने आदेश में यह नहीं कहा है कि आरोपी व्यक्तियों पर लगाए गए जुर्माने से मुआवजे का भुगतान करने का आदेश दिया गया है। परिवीक्षा के संबंध में आदेश दर्ज करने के बाद न्यायालय ने अपीलकर्ताओं को रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया। मुआवजे के रूप में प्रत्येक को 250 रु. धारा 357, सी.आर.पी. पीसी लागू नहीं की गई, क्योंकि जुर्माने की रकम में से मुआवजा देने का आदेश नहीं दिया गया था। अपीलीय अदालत के पास सीआरपीसी की धारा 357 के तहत आदेश पारित करने का कोई अवसर नहीं था। क्योंकि अपीलीय अदालत द्वारा अपीलकर्ताओं को परिवीक्षा का लाभ दिए जाने के बाद जुर्माने का कोई भी हिस्सा बच नहीं पाया।

(11) अपराधियों की परिवीक्षा अधिनियम, 1958 (संक्षेप में, अधिनियम) की धारा 5 में मुआवजे के भुगतान का भी उल्लेख है जो अपराध के कारण किसी व्यक्ति को हुई हानि या चोट के लिए उचित पाया जाता है। धारा 5 इस प्रकार है:-

5. *रिहा किए गए अपराधियों से मुआवज़ा और लागत का भुगतान करने की अपेक्षा करने की अदालत की शक्ति।—*

(1) धारा 3 या धारा 4 के तहत किसी अपराधी को रिहा करने का निर्देश देने वाली अदालत, यदि उचित समझे, उसी समय ऐसा कर सकती है। उसे भुगतान करने का निर्देश देने वाला अगला आदेश-

(a) ऐसा मुआवजा जो अदालत अपराध के कारण किसी व्यक्ति को हुई हानि या चोट के लिए उचित समझे;

(b) कार्यवाही की ऐसी लागतें जो न्यायालय उचित समझे।

(2) उप-धारा (1) के तहत भुगतान की जाने वाली राशि को संहिता की धारा 386 और 387 के प्रावधानों के अनुसार जुर्माने के रूप में वसूल किया जा सकता है।

(3) किसी भी मुकदमे की सुनवाई करने वाली सिविल अदालत, उसी मामले से उत्पन्न होती है जिसके लिए अपराधी पर मुकदमा चलाया गया है, नुकसान का फैसला करते समय उपधारा (1) के तहत मुआवजे के रूप में भुगतान की गई या वसूल की गई किसी भी राशि को ध्यान में रखेगी।

(12) उपरोक्त प्रावधान से, यह स्पष्ट है कि किसी अपराधी को अच्छे आचरण की परिवीक्षा पर रिहा करने का आदेश देने वाला न्यायालय उसे अपराध के कारण नुकसान या चोट झेलने वाले किसी भी व्यक्ति को उचित मुआवजा देने का भी निर्देश दे सकता है। मुआवजे की रकम जुर्माने के तौर पर वसूली जा सकती है.

(13) अधिनियम की धारा 11 की उप-धारा (1) के तहत, अपीलीय न्यायालय अधिनियम के तहत कोई भी आदेश पारित कर सकता है। धारा 11 की उपधारा (1) कहती है:-

11. *अधिनियम के तहत आदेश देने में सक्षम न्यायालय, अपील और पुनरीक्षण और अपील और पुनरीक्षण में न्यायालयों की शक्तियां:—*

(1) संहिता या किसी में निहित किसी भी बात के बावजूद

अन्य कानून, इस अधिनियम के तहत एक आदेश किसी भी अदालत द्वारा दिया जा सकता है जो अपराधी पर मुकदमा चलाने और उसे कारावास की सजा देने का अधिकार रखता है और उच्च न्यायालय या किसी अन्य अदालत द्वारा भी जब अपील या पुनरीक्षण पर मामला उसके सामने आता है।

(2)

(3)

(4)

(14) अपीलीय न्यायालय ने वर्तमान मामले में आरोपी व्यक्तियों पर लगाए गए जुर्माने की राशि में से मुआवजा नहीं दिया है। अपीलीय न्यायालय के पास कोई भी आदेश देने की शक्ति थीआरोपी व्यक्तियों को परिवीक्षा का लाभ देते समय अपराधी परिवीक्षा अधिनियम। अधिनियम की धारा 11 (1) अपीलीय न्यायालय को अधिनियम की धारा 5 (1) में उल्लिखित मुआवजे के भुगतान के संबंध में आदेश पारित करने का अधिकार देती है।

(15) उपरोक्त चर्चा के आलोक में, याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील द्वारा दी गई दलील में कोई दम नहीं है। अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा मुआवजे के भुगतान के लिए अपीलीय न्यायालय का आदेश अधिनियम की धारा 11 (1) के साथ पठित धारा 5 (1) के आलोक में एक वैध आदेश है।-

(16) याचिका में कोई दम नहीं है और इसलिए इसे खारिज किया जाता है।

आरएनआर

न्यायमूर्ति, अरुण बी. सहर्या, सीजे और वी.के. बाली के समक्ष

पीएनबी अपने अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक और अन्य के माध्यम से, अपीलकर्ता।

बनाम

केएस राजपूत और अन्य,-प्रतिवादी।

L.P.A. No. 664 of 1996

23 जुलाई 1999

पंजाब नेशनल बैंक (अधिकारी) सेवा विनियम, 1979—रेग. 17—न्यायालय द्वारा निर्धारित नीति के अनुसार सभी ग्रेड के अधिकारियों को पदोन्नति—पदोन्नति नीति पदोन्नति के लिए चयन की प्रक्रिया प्रदान करती है—विभिन्न मापदंडों के लिए अंक निर्धारित—क्या एक पैरामीटर को नजरअंदाज किया जा सकता है।

निर्धारित किया गया ,स्केल IV से स्केल V तक पदोन्नति के लिए निर्धारित मानदंडों का एक मात्र अवलोकन यह प्रदर्शित करेगा कि यह दो अलग-अलग शीर्षों से संबंधित है, अर्थात्, (i) नौकरी और सामान्य ज्ञान का आकलन करना, उच्च जिम्मेदारियों को वहन करने के लिए व्यक्तिगत विशेषताओं और क्षमता का मूल्यांकन करना और (ii) मूल्यांकन करना। प्रदर्शन का. नौकरी और सामान्य ज्ञान, व्यक्तिगत विशेषताओं और उच्च जिम्मेदारियों को निभाने की क्षमता के संबंध में प्रदर्शन का आकलन करने के लिए साक्षात्कार आयोजित किया जाता है। प्रदर्शन का अन्य मूल्यांकन उम्मीदवार द्वारा पिछले दो वर्षों में किए गए कार्य के संबंध में है। पदोन्नति नीति में विभिन्न मापदंडों के लिए अधिकतम अंक (60 और 40), यानी पिछले दो वर्षों में उम्मीदवार द्वारा किए गए कार्य के संबंध में प्रदर्शन और साक्षात्कार में प्रदर्शन का उल्लेख किया गया है। नौकरी और सामान्य का आकलन करने के लिए 'साक्षात्कार' शब्द के बाद 'साक्षात्कार' शब्द आता है।